न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–47/2015ए

CIS NO. TS 270/2018

सत्यदेव प्रसाद..वादी

बनाम

रूपनारायण प्रसाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
08.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.09.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी सत्यदेव प्रसाद की मृत्यु दिनांक 14.02.2022 को हो चुका है। मृतक वादी ने अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में पत्नी गिरजा देवी, पुत्र मुन्ना प्रसाद, बृजेश प्रसाद, धीरज कुमार एवं पुत्री ललिता देवी एवं पुनम देवी को छोडकर मरे। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक वादी के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से आवेदकगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एम मात्र वादी सत्यदेव प्रसाद की मृत्यु हो चुकी ह। आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.09.2024 स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर आवेदन में वर्णित मृतक के विधिक वारिसानों का नाम	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–47/2015ए

CIS NO. TS 270/2018

सत्यदेव प्रसाद...वादी

बनाम

रूपनारायण प्रसाद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 03.01.2025	वादपत्र में जोड़ें। वाद दिनांक 29.01.2025 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	